(राजस्थान–सरकार)

न्यायालय अतिरिक्त जिला मजिस्ट्रेट, बारॉ (राज.)

पीठासीन अधिकारी सत्यनारायण आमेटा (आर.ए.एस.)

प्रकरण संख्या :– 02/2017

रजिस्ट्रेशन सं0 :– 2017/00265

बउनवान

सरकार जरिये थानाधिकारी पुलिस थाना कोतवाली बारॉ जरिये जिला पुलिस अधीक्षक महोदय बारॉ (सायल)

बनाम

हितेश उर्फ मोनू पुत्र गिरिराज जाति सुनार निवासी चौमुखा बाजार हाल खाती कॉलोनी, जिला बाराँ (गैरसायल)

इस्तगासा अन्तर्गत राजस्थान आभ्यासित अपराधी अधिनियम 1953 की धारा–3

उपस्थिति :– 1– अभियोजन अधिकारी (सायल)

2– श्री अरविन्द पंचौली अभिभाषक (गैरसायल)

निर्णय दिनांक 25.07.2022

वाक्यात मामला इस्तगासा इस प्रकार है कि गैरसायल हितेश उर्फ मोनू पुत्र गिरिराज जाति सुनार निवासी चौमुखा बाजार हाल खाती कॉलोनी, बाराँ जिला बाराँ के विरूद्व राजस्थान आभ्यासित अपराधी अधिनियम 1953 की धारा–3 के अन्तर्गत प्रेषित किया गया है।

संक्षिप्त में प्रकरण इस प्रकार है कि गैरसायल के खिलाफ थानाधिकारी पुलिस थाना कोतवाली बारॉ जिला बाराँ ने जिला पुलिस अधीक्षक महोदय, बारां को रिपोर्ट की है कि पुलिस थाना कोतवाली बारॉ जिला बाराँ क्षेत्र के अन्तर्गत गैरसायल आपराधिक प्रवृति का व्यक्ति है। इस अपराधी की स्थिति एक सामान्य व्यक्ति से हट कर आपराधिक प्रवृति की रही है। यह व्यक्ति मानव शरीर पर प्रभाव डालने वाले एवं सम्पत्ति सम्बन्धी अपराध भा0द0स0 की अनुसूची भाग 01 अध्याय 16 एवं 17 मे वर्णित अपराधो को गठित करने का आदि हो गया है। इसके विरूद्व पुलिस थाना कोतवाली बारॉ मे वर्ष 1999 से 2013 तक की अवधि मे कुल 14 अपराधिक प्रकरण भादस एवं स्थानीय/विशेष के तहत पंजीबद्व होकर चालान न्यायालय में पेश किये गये है जिनमें से 08 प्रकरणों मे न्यायालय से सजायाब हो चुका है तथा भादस के तहत 04 प्रकरणों में दोषमुक्त हुआ है। शेष 02 प्रकरण वर्तमान मे न्यायालय मे विचाराधीन है। इसके उपरान्त भी इस व्यक्ति की आपराधिक गतिविधियाँ जारी रही है। उपरोक्त निर्णित 08 प्रकरणों में यह व्यक्ति न्यायालय से भिन्न–भिन्न अवसरों पर भिन्न–भिन्न कारावास अवधि के लिये दोषसिद्ध दण्डित किया जा चुका है। माननीय न्यायालय द्वारा दिये गये मुख्य दण्ड आदेश को अपील या पुनरीक्षण में भी नहीं बदला गया और दण्ड आदेश प्रभावी रहा है।

Signature Not Verified
Digitally signed by Satya Narayan Ameta
Date: 2023.01.17 11:39:56 IST
Reason: SelfAttested

अतः उक्त आपराधिक प्रवृति के आभ्यासित अपराधी हितेश उर्फ मोनू पुत्र गिरिराज जाति सुनार निवासी चौमुखा बाजार हाल खाती कॉलोनी, बाराँ जिला बारॉ को राजस्थान आभ्यासित अपराधी अधिनियम 1953 की धारा 03 के तहत अभ्यासित अपराधी के रूप मे रजिस्ट्रीकृत करते हुये प्रभावी नियन्त्रण हेतु अधिनियम में वर्णित प्रावधान अनुरूप विधिक शर्त अनुदेश/आज्ञा जारी किये जाने की कार्यवाही किये जाने हेतु निवेदन किया गया।

इसके उपरांत गैरसायल के विरूद्व प्रस्तुत इस्तगासे को दिनांक 19.12.2017 को दर्ज रजिस्टर किया गया तथा पुलिस द्वारा प्रस्तुत इस्तगासे एवं साक्ष्य के सारगर्भित बिन्दुओं को दर्शाते हुए गैरसायल को आहूत किया गया तथा गैरसायल की जरिये सम्मन तलबी की गई। गैरसायल द्वारा मय अभिभाषक उपस्थित होकर प्रकरण में जवाब प्रस्तुत किया गया जो शामिल पत्रावली किया जाकर उभयपक्ष की अंतिम बहस सुनी गई।

दौराने बहस अभियोजन अधिकारी सरकार पक्ष का मुख्य कथन है कि गैरसायल के विरूद्व इसके विरूद्व पुलिस थाना कोतवाली बारॉ मे वर्ष 1999 से 2013 तक की अवधि मे 14 अपराधिक प्रकरण भादस एवं स्थानीय/विशेष अधिनियम के तहत पंजिबद होकर चालान पेश न्यायालय मे किये गया है। जिनमे यह 08 प्रकरणों मे न्यायालय से सजायाब भी हो चुका है तथा भादस के तहत 04 प्रकरणों में दोषमुक्त हुआ है। शेष 02 प्रकरण वर्तमान मे न्यायालय मे विचाराधीन है। इसके उपरान्त भी इस व्यक्ति की आपराधिक गतिविधिया जारी रही है। उपरोक्त निर्णित 08 प्रकरणो मे यह व्यक्ति न्यायालय से भिन्न–भिन्न अवसरो पर भिन्न–भिन्न कारावास अवधि मे लिये दोषसिद्व/दण्डित किया जा चुका है। माननीय न्यायालय द्वारा दिये गये मुख्य दण्ड आदेश को अपील या पुनरीक्षण मे भी बदला नही गया और दण्ड आदेश प्रभावी रहा है।

उपरोक्त वर्णित तथ्यों से यह प्रमाणित है कि यह व्यक्ति उपरोक्त प्रकार के अपराधों को करने का आभ्यासित हो चुका है। पांच वर्ष की निरन्तर कालावधि के दौरान (18 वर्ष की आयु प्राप्त करने के बाद) तीन से अन्यून अवसरों पर न्यायालय से भिन्न–भिन्न कारावास अवधि के लिये दोषसिद्व किया गया है। उपरोक्त व्यक्ति अधिनियम मे परिभाषित आभ्यासित अपराधी के अन्तर्गत आता है तथा उक्त आपराधी की निगरानी एवं नियन्त्रण के लिये उपबन्ध करना समीचीन प्रतीत है।

अतः उक्त आपराधिक प्रवृति के आभ्यासित अपराधी हितेश उर्फ मोनू पुत्र गिरिराज जाति सुनार निवासी चौमुखा बाजार हाल खाती कॉलोनी, बाराँ जिला बारॉ को राजस्थान आभ्यासित अपराधी अधिनियम, 1953 की धारा 03 के तहत अभ्यासित अपराधी के रूप मे रजिस्ट्रीकृत करते हुये प्रभावी नियन्त्रण हेतु अधिनियम में वर्णित प्रावधान अनुरूप विधिक शर्त अनुदेश/आज्ञा जारी किये जाने की कार्यवाही किये जाने हेतु निवेदन किया गया।

गैरसायल के अभिभाषक द्वारा दौराने बहस प्रस्तुत जवाब के तथ्यों को दोहराते हुए कहा गया कि गैरसायल के विरूद्व पुलिस थाना कोतवाली बारॉ द्वारा अपराधों की सूची देकर उक्त कार्यवाही की है जो निरस्तनीय है। गैरसायल के विरूद्ध गत 08 सालों से आई.पी.सी. का कोई प्रकरण विचाराधीन नहीं है। गैरसायल अब शांतिपूर्वक अपना जीवनयापन कर रहा है तथा अपना व अपने परिवार का पालन–पोषण करता चला आ रहा है। गैरसायल अब आम जीवन व्यतीत कर रहा है। अतः जवाब कार्यवाही पेश कर निवेदन है कि गैरसायल के विरूद्व खोली गयी कार्यवाही को निरस्त फरमाया जावें।

प्रकरण मे अभियोजन अधिकारी पक्ष सरकार व गैरसायल के अभिभाषक की बहस सुनी तथा इस्तगासे में प्रस्तुत अभिलेखों का अवलोकन किया जाकर मनन किया गया। उक्त समस्त तथ्यों के अनुसार यह साबित होता है कि हितेश उर्फ मोनू पुत्र गिरिराज जाति सुनार निवासी चौमुखा बाजार हाल खाती कॉलोनी, बाराँ जिला बारॉ द्वारा उक्त अपराध किए गए है जिसके आधार पर गैरसायल राजस्थान आभ्यासित अपराधी अधिनियम, 1953 की धारा–3 की परिभाषा में आना पूर्णतया सिद्व है क्योंकि प्रावधान के अनुसार गैरसायल को कुल 08 आपराधिक प्रकरणों में न्यायालय से सजायाब किया जा चुका है।

Signature Not Verified
Digitally signed by Satya Narayan Ameta
Date: 2023.01.17 11:39:56 IST
Reason: Self Attested

अतः हितेश उर्फ मोनू पुत्र गिरिराज जाति सुनार निवासी चौमुखा बाजार हाल खाती कॉलोनी, बाराँ जिला बारॉ को सजायाबी रिकार्ड के आधार पर राजस्थान आभ्यासित अपराधी अधिनियम 1953 की धारा–3 के तहत आभ्यासित अपराधी घोषित करता हूँ। राजस्थान आभ्यासित अपराधी नियम संख्या 3 द्वारा प्रपत्र 1 का निर्धारण किया गया है जिसके आधार पर अभ्यासित अपराधियों का रजिस्टर, जिला पुलिस अधीक्षक द्वारा प्रत्येक जिले हेतु तैयार व कायम रखना है। उक्त रजिस्टर में गैरसायल की अंगुली एवं हथेली की छाप, पांव के निशान तथा उसका चित्र (फोटो) लिया जावेगा। इस रजिस्टर में, एक बार पुलिस अधीक्षक की संरक्षा में आ जाने पर, जिला दण्डनायक के आदेशों के बगैर कोई परिवर्तन नहीं किया जावेगा। गैरसायल की गतिविधियों पर समय–समय पर निगरानी रखी जावें।

निर्णय आज दिनांक 25.07.2022 को सरे इजलास सुनाया गया। पत्रावली बाद तामील तकमील फैसल शुमार होकर दाखिल दफ्तर हो।

(सत्यनारायण आमेटा)
अति0 जिला मजिस्ट्रेट,
बारॉ

Signature Not Verified

Digitally signed by Satya Narayan Ameta
Date: 2023.01.17 11:39:56 IST
Reason: SelfAttested